न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 16/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/68)

निर्णय दिनांकः– 16-04-2025

1. स्व. श्रीमती तुलछी देवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
1/1. सोहनलाल पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
1/2. श्रीमती विमला देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर।
1/3. श्रीमती मंजू पुत्री सोहनलाल पत्नी देवकिशन जाति जाट निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर।
1/4. चैनाराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
1/5. सांवरमल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजूराम पुत्र मालाराम जाति भार्गव निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

2. मालाराम पुत्र कुशलाराम जाति भार्गव निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. इन्द्रचन्द्र पुत्र राजूराम जाति भार्गव निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–प्रर्फोमा रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 11–02–2022
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थित:–

1. श्री सुरेशचन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजकुमार व्यास, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 11–02–2022 जिसके द्वारा एकतरफा तौर पर आराजी जैर के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 1927/1524 तादादी 2.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 801 तादादी 4.64 हेक्टर एवं रोही मौजा खींयाणी बास के खेत खसरा नम्बर 449/204 तादादी 3.60 हेक्टर व वाके रोही वाडेला के खेत खसरा नम्बर 908/87 तादादी 3.60 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर बतौर विरासतन 1/7 हक व हिस्सा निहित रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के अधिकारों के निर्धारण से पूर्व आराजी जैर के स्वरूप को यथावत रखा जावे। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं आराजी जैर की वंशावली के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश के माध्यम से ताफैसला वाद आराजी जैर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से प्रदान किये गये है। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि में से अपीलांट् द्वारा खेत खसरा नम्बर 449/204 तादादी 3.60 हेक्टर भूमि राजूराम पुत्र मालाराम से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई भूमि है। जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट् वर्तमान में वादगत् भूमि का रिकार्डेड

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि आराजी जैर के बाबत् विधि में उपलब्ध प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके रोही रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 1927/1524 तादादी 2.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 801 तादादी 4.64 हेक्टर एवं रोही मौजा खींयाणी बास के खेत खसरा नम्बर 449/204 तादादी 3.60 हेक्टर व वाके रोही वाडेला के खेत खसरा नम्बर 908/87 तादादी 3.60 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् ताफैसला वाद मौके व राजस्व रिकार्ड की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जाने से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि में से खेत खसरा नम्बर 449/204 तादादी 3.60 हेक्टर भूमि इन्द्रजीत पुत्र राजूराम से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई भूमि है। अपीलांट् द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में आराजी जैर के बाबत् निष्पादित विकय पत्र दिनांक 17—08—2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 449/204 तादादी 3.60 हेक्टर भूमि का बेचान इन्द्रजीत पुत्र राजूराम द्वारा अपीलांट् के हक में निष्पादित किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही में उन्हें पक्षकार स्थापित नहीं किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि इन्द्रजीत को वादगत भूमि अपने दादा से जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र द्वारा प्राप्त हुई जो आदिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है एवं ना ही उक्त उपहार पत्र को कहीं भी चुनौती प्रदान की गई है जिससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए तमाम कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वादपत्र में तय होना है, परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत मत व्यक्त करते हुए आदेश पारित किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम आराजी जैर के हितबद्व पक्षकारों अर्थात अपीलांट् (वादगत भूमि का रजिस्टर्ड खरीददार) को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाते हुए प्रकरण में सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है वहीं दूसरी तरफ अस्थाई निषेधाज्ञा के आज्ञापक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किया जाना भी जाहिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–02–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट् व अन्य उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अपना मत व्यक्त करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 16-04-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर